राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, बीकानेर

ईमेलः–cdeo.bikaner.dse@rajasthan.gov पता :– नई डाईट परिसर, पूगल मार्ग, बीकानेर

क्रमांक : मुजिशिअ/समसा/बीका/विद्या संबल योजना/2026/ **दिनाँक : यथा हस्ताक्षर**

सार्वजनिक सूचना

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव महादेय के पत्र क्रमांक : F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नम्बर : 24116683) दिनाँक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक : प.6(2) वित्त/साविलेनि/2021 जयपुर, दिनाँक 30.03.2021 एवं श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक : शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1ए/गेस्ट फैकल्टी/12226/2024–25528–5729091 (राजकाज रेफरेंस नम्बर : 24275528) दिनाँक 27.08.2026 के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापक (विभिन्न विषयों) के रिक्त पदों पर **''विद्या संबल योजना''** के प्रथम चरण के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को **''गेस्ट फैकल्टी''** के रूप में **(नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोड़कर)** पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाये जाने वाले शिक्षकों के पद/योग्यातएँ/शर्ते और प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

(1) विद्या संबल योजना के तहत लगाये जाने वाले पद एवं योग्यताएँ –

क्र. स.	पद का नाम	योग्यता
1.	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार।

नोट :–

I. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
II. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त/निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
III. सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
IV. सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
V. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाये जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होगी।

(2) रिक्तियां–

विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जायेगा।

(3) रिक्तियों का प्रकाशन –

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों को प्रकाशन/अवलोकन संबंधित विद्यालय/पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट **https://education.rajasthan.gov.in** पर किया जाएगा।

(4) आवेदन प्रक्रिया –

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक/निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हो, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय–सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

(5) वरीयता का निर्धारण –

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक प्रतिशत का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक प्रतिशत का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा।

सेवानिवृत कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जायेगा। सेवानिवृत कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(6) परिवेदना प्रस्तुत करना –

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगी –

क्र. स.	पदनाम	विवरण
1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक	सदस्य
3.	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4.	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य

(7) विद्या संबल योजना के तहत मानदेय –

विद्या संबल योजना के तहत लगाये जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघण्टा मानदेय नियमानुसार दिया जायेगा –

क्र. स.	पद	कक्षा	प्रति घण्टा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
1.	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रूपये	30,000 रूपये

RajKaj Ref No.:
24284542

(8) अन्य शर्ते –

I. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।

II. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

III. गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।

IV. उक्त सेवाए चूंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।

V. गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवा निवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।

VI. गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गैस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

(9) कार्यक्रम एवं समय सारणी :– (नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोड़कर) –

क्र. स.	विवरण	दिनाँक
1.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	29.08.2026
2.	पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	31.08.2026
3.	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	01.09.2026 से 07.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
4.	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओ स्तर)	08.09.2026 से 12.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
5.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदनों पत्रों की जॉच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं अस्थाई वरीयता सूची में आपतियाँ मॉगना।	
6.	अभ्यर्थियों आपतियाँ के निस्तारण पश्चात् अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर, स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्ध 03–03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना	
7.	पीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना	
8.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	14.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)

RajKaj Ref No.: 24284542

9.	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन सूची अनुमोदन तिथि	15.09.2026 (सांय 05:00 बजे तक)
10.	आदेश जारी करना	15.09.2026 (रात्रि 11:59 बजे तक)

(डॉ. अरूण कुमार)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, बीकानेर

क्रमांक : मुजिशिअ/समसा/बीका/विद्या संबल योजना/2026/ **दिनाँक : यथा हस्ताक्षर**

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3. निजी सचिव, जिला कलक्टर, बीकानेर।
4. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अध्यक्ष विद्या संबल योजना, जिला परिषद्, बीकानेर।
5. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक/प्रारम्भिक, बीकानेर।
7. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, जिला – बीकानेर।
8. समस्त पीईईओ, जिला – बीकानेर।
9. रक्षित पत्रावली।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, बीकानेर